न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 55 / 2020 GCMS No.–2020/00141

जगदीश पुत्र स्व0 लादूराम उम्र करीब 40 वर्ष जाति मीना निवासी 4000 ए व 4000बी, मीठी कोठी का रास्ता, गोटा फैक्ट्री के पीछे, गलता रोड, जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री लादूराम
2. राकेश पुत्र स्वर्गीय श्री लादूराम
3. कमलेश पुत्री स्व0 श्री लादूराम

   समस्त जाति मीना निवासीयान 4000 ए, मंगली भवन, गोटा फैक्टरी के पीछे, गलता रोड, जयपुर।
4. श्रीमती उमा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री लादूराम पत्नि श्री धर्मराज मीना जाति मीना निवासीयान बेनाडो की ढाणी, बजरी मण्डी रोड, पांच्यावाला, जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज0।
6. उपपंजीयक प्रथम, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 429 दिनांक 10.09.2020 आज्ञा द्वारा पारित श्री मुकेश मीणा तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री आर.पी.शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुनील कुमार वर्मा अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 संख्या 4 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 11.12.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 10.09.2020 जिससे नामान्तरकरण संख्या 429 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर तस्दीक किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.11.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार वर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि के

खातेदार काश्तकार स्व. लादूराम पुत्र मांगीया हिस्सा 1/4 जाति मीणा की मृत्यु हो जाने के पश्चात तहसीलदार सांगानेर ने लादूराम पुत्र मांगीया के हक व हिस्से की आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण अपीलांट को नोटिस दिये बिना ही रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4के हक में दिनांक 10.09.2020 को तस्दीक कर दिया। अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 अनूसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं अनूसुचित जनजाति सदस्यों में एवं परिवार में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (उपधारा 2) के तहत मीणा जनजाति के व्यक्तियों पर उक्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए स्व. लादूराम के देहांत के बाद उनके विरासत में छोडी गई सम्पत्ति के कानूनी वारिसान केवल मात्र अपीलांट एवं रेस्पा0 संख्या 1 व 2 ही है। मीणा जाति एवं अपीलांट के परिक्षेत्र में प्रचलित रूढी प्रथाओं व रीति रिवाज के अनुसार पुत्रीयों को पिता की सम्पत्ति में मालिकाना हक विरासत में प्राप्त नहीं होता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही आलौच्य आदेश दिनांक 10.09.2020 पारित कर दिया जो सरसरी तौर पर ही अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 1 जयपुर महानगर के यहां वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है, जिसमें पक्षकारान के हक, हकूको का नियमित वाद में निस्तारण होना शेष है। नामान्तकरण की प्रकिया फिसकल प्रोसिंडिग्स है एवं तहसीलदार सांगानेर वाद में स्वयं पक्षकार रहे है कानूनन नियमिति वाद के लम्बित रहते हुए नामान्तकरण संबंधी फिसकल प्रोसिडिंग्स को स्थगित रखे जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी जनरल प्रिंसिपल का अवलोकन किये बिना आलौच्य आदेश दिनांक 10.09.2020 पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 429 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **1966 RRD page 71, 2014(2) RRT page 901, RRT 2023(1) kamla neti vs Speciao L.A.o** आदि पेश किये।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं स्व. लादूराम के वारिसान के हक में तस्दीक किया है। रेस्पा0 संख्या 3,4 स्व. लादूराम की जायन्दा पुत्रियां है जिनका भी अपने पिता की भूमि में हक अधिकार निहित है। अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं विधिक वारिसान के हक में ही तस्दीक किया गया जो निमयानुसार उचित है, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्व. लादूराम की विरासत के आधार पर उसके जायन्दा वारिसान के हक में तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 429 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर द्वारा निर्णित दिनांक 10.09.2020 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार काश्तकार लादूराम पिता मांगीया हिस्सा 1/4 का विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भरा गया। जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा आदेश दिनांक 10.09.2020 द्वारा तस्दीक किया गया। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति (मीणा) के सदस्य है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई भी कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. लादूराम के फौत होने पर उसकी खातेदारी भूमि का नामान्तकरण उसकी जायन्दा पुत्र, पुत्रियों, पत्नी के हक में तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व संशोधन अधिनियम 2005 तथा विद्धान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 2 (उपधारा 2) के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थो के अन्दर आने वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यो को तब तक लागू नहीं होगी तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करें। इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6091/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2022 अनुसार **Daughters belonging to Schudeuled Tribe cannot claim any right in the property of father and therefore we hope and trust that the Central Government will look into the matter and take an appropriate decision taking into consideration the right to equality guaranteed under articles 14 and 21 of the constitution of India.** अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर द्वारा स्व. लादू की पुत्रियों के नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया है जबकि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति से होने के कारण पुत्रियों को वर्तमान में पिता की सम्पत्ति में उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत अनुसार हक अधिकार नहीं होना प्रतीत होता है। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर द्वारा विरासत के आधार पर भरे गये नामान्तकरण में खातेदार काश्तकारों के अनुसचित

जनजाति से संबंधित होने के तथ्य पर गौर किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया जो नियमानुसार उचित नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर का आदेश दिनांक 10.09.2020 बाबत नामान्तरकरण संख्या 429 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को इस निर्देश के साथ **(Remand)** प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, उपरोक्त तथ्यो की रोशनी में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर